न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 002/2024

बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चांहर जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. **श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता** — वादी
2. **राज पैरोकार** — प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 27.03.2024

वादी बद्रीराम द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88,आर.टी.ए.के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि वादी के नाम से चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 34/106 में कुल 0.5060 हैक्टर नहरी तथा इसी चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 70/90 में कुल 0.5060 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें वादी का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है ।

वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पूर्व में वादी के भाईयों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खाता में दर्ज थी तथा उपरोक्त आराजी वादी को न्यायालय से जरिये डिक्री प्राप्त हुई है। वादी के भाईयों द्वारा न्यायालय से डिक्री करवाते समय वादी का नाम सहबन से बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दर्ज करवा दिया जिसके कारण निर्णय व डिक्री में वादी का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर है जो वादी के आधार कार्ड, बैंक पास-बुक, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड तथा वादी की 10वीं की अंकतालिका में दर्ज है। आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पास–बुक, परिवार राशन कार्ड तथा 10वीं की अंकतालिका की फोटो प्रतियाँ संलग्न वाद पत्र है।

वादी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष भी प्रस्तुत किया था लेकिन प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया। वादी का सही नाम बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम व वल्दियत बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दर्ज रहने से वादी के नाम व वल्दियत में भिन्नता बने रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है जिसकी वजह से वादी को बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने आदि में असुविधा होती है। इसलिए वादी चक नम्बर नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 34/106 व खाता संख्या 70/90 में अंकित वादी का नाम व वल्दियत बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ को दुरूस्त करवाकर बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ के स्थान पर बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाये जाने का अनुतोष चाहा है। पटवारी हल्का रिपोर्ट मय आदेश तहसीलदार संलग्न प्रार्थनापत्र है।

वादी ने प्रतिवादी को आज से एक सप्ताह पूर्व जरिये प्रार्थना निवेदन किया कि वादी का नाम व वल्दियत राजस्व रिकॉर्डमें दुरूस्त कर बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ के स्थान पर सही नाम बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर अंकित करवा देवे तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा, बस यही विनाय दावा है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क.) घोषित किया जावे कि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 34/106 व खाता संख्या 70/90 में अंकित वादी का नाम व वल्दियत बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ को दुरूस्त कर उसके स्थान पर बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर अंकित किया जावे।

(ख.) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग.) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अ़ता फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी क़ो जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार द्वारा जवाबदावा मय पटवार हल्का दौलतपुरा की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी द्वारा साक्ष्य एवम् दस्तावेज से वाद–पत्र को सिद्ध करना है। वादी द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का सही नाम बद्रीराम पुत्र भागीरथ चाहर है जबकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दर्ज है।

वादी द्वारा अपनें वाद–पत्र को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य शपथ–पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत शपथ पत्र के सलंग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्ड, पैन कार्ड, वादी के बैंक खाता की पास बुक, सैकण्डरी स्कूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र में वर्णित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया तथा शपथ पत्र/हलफनामा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर व बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ दोनों नाम का एक ही अस्तितव है। नाम भिन्नता के सम्बंध में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की होगी।

प्रकरण में उभयपक्ष की समायत बहस सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उभयपक्ष की समायत बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जानें पर वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें से वांद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील टिब्बी के चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 34/106 व खाता संख्या 70/90 में अंकित वादी का नाम व वल्दियत बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ को दुरूस्त कर उसके स्थान पर बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.3.24 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
अतिरिक्त सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–002/2024

बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

– – वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय **दिनांक :– 27.03.2024**

वादी की ओर से अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से राजपैरोकार अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 27.03.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब दावा मय पटवार हल्का गुडिया रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित भूमि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 34/106 व खाता संख्या 70/90 में अंकित वादी का नाम व वल्दियत बद्रीप्रसाद पुत्र भागीरथ के [illegible] कर उसके स्थान पर बद्रीराम चाहर पुत्र भागीरथ चाहर किया जाकर राजस्व [illegible] को दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

ह० उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:55 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया

Scanned with CamScanner

जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 27.03.2024 ... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner